aii ea

सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से संबद्ध)

33, प्रभांजलि, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

cz iea

परिपत्र/विशेष

क्षेत्रीय कामकाजी महिला समन्वय समिति

मध्य क्षेत्र के समस्त साथियों के नाम

विषय : 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन। पिछले दिनों अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने पहले भाषण में महिलाओं के विषय में बात करते हुए कहा कि महिलाएं हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। महिलाएं जिन्होंने 100 साल पहले 19वें संशोधन के अलावा 'दशकों' मताधिकार के लिए संघर्ष किया। उक्त संघर्ष में महिला के एक नागरिक होने के अधिकार को हासिल करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को उत्सवित करते हुए हम इस इतिहास का स्मरण करते हैं कि महिलाओं के अधिकार का संघर्ष अमेरिका की कामकाजी महिलाओं के संघर्ष से प्रारंभ हुआ था। न्यूयार्क के कपड़ा मिल में काम काने वाली महिलाओं ने असीमित काम के घंटों को सीमित करने और काम करने की स्थितियों में सुधार की मांग को लेकर पहली बार 8 मार्च 1857 को प्रदर्शन किया, धरना दिया और जुलूस निकाला था। फिर जैसा कि स्वाभाविक था शोषण के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किये गए ताकि फिर कोई आवाज उठाने की कोशिश ही न कर सके। और ऐसा ही हुआ, विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए कोई बड़ा संघर्ष, अनेक वर्षों तक संभव ही नहीं हुआ, छिट-पुट घटनाएं, आंदोलन होते रहे। अनेक वर्षों के बाद 8 मार्च 1908 को न्यूयार्क के सुई उद्योग में काम करने वाली महिलाओं ने काम के समय और वोट देने के अधिकार की मांग को लेकर संघर्ष प्रारंभ किया। एकजुट संघर्ष के हौसले से कुछ उपलब्धियां मिलीं फिर संघर्ष-दर-संघर्ष कुछ अधिकार हासिल होते गए। 1910 में जब कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित था तब डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता क्लारा जेटकिन ने प्रस्ताव रखा कि - महिलाओं के संघर्ष को यादगार बनाने, श्रम कानूनों और अधिकारों के प्रति जागरुकता को विस्तार देने के लिए '8 मार्च' को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस के रूप में मनाया जाये, जिसे सम्मेलन ने स्वीकार किया। इस तरह महिलाओं के अधिकार और जागरुकता का संघर्ष विस्तृत होता गया। हमारे अपने देश में स्वतंत्रता के संघर्ष में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसी का परिणाम था कि आजादी के साथ ही हमारे संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही वोट के साथ ही समानता का अधिकार मिला, जबकि अनेक देशों में बहुत बाद में मिला, कहीं-कहीं तो महिलाओं को वोट की गिनती आधी ही की जाती थी।

हमारे देश के संविधान ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है किंतु वास्तव में महिलाओं की स्थिति समाज में संविधान के अनुरूप नहीं है क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को अपने बराबर मानने को तैयार नहीं हुआ है। जन्म के साथ ही उन्हें मुंह बंद रखने की सलाह दी जाती है, जब मुंह नहीं खोलती तो यह मान लिया जाता है कि दिमाग भी काम नहीं करता। आम तौर पर खाना बनाने, पानी, जलावन (लकड़ी) का इंतजाम करने, बच्चों सहित सबका ध्यान रखने का काम उसकी जिम्मेदारियों में होते हैं। उसके कामों का कोई मूल्य नहीं आंका जाता है। अभी सत्ता में भी ऐसी ही सोच रखने वाली सरकार है। सरकार देखरेख के ऐसे ही कामों में महिलाओं का लगाती हैं, जैसे स्वास्थ्य सहायक, आंगनबाड़ी कर्मी, मिड-डे मील, रसोईया आदि। इन्हें बहुत कम मानदेय दिया जाता है, न इन्हें कर्मचारी माना जाता है, न रोजगार की कोई सुरक्षा दी जाती है अर्थात् महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के प्रयास बहुत कम किये जा रहे हैं। संघर्षों से शिक्षा का अधिकार मिला जिससे गरीब परिवारों की लड़कियां सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर लेती थीं किन्तु अब सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर कर सरकार निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रही है जिससे इस अधिकार का उपयोग कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। जैसा समाज होता है वैसी ही उसकी सोच होती है, वैसी ही उसकी संस्थाएं होती हैं- इसे केवल एक उदाहरण से समझा जा सकता है- पिछले दिनों बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक बालिका के साथ

अनाचार को यौन शोषण मानने से इंकार कर दिया था। अनेक सामाजिक संगठनों ने इसकी खिलाफत की तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। हाथरस में बलात्कार की शिकार महिला के शव को प्रशासन द्वारा रात में परिवार के सदस्यों के बिना पेट्रोल डालकर जला दिया तो बदायूं में महिला मंदिर में दुष्कर्म का शिकार होती है। अदालत, प्रशासन और पूजा स्थल सब महिलाओं पर अत्याचार का स्थान हो गये हैं। यही कारण है कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और समानता के संघर्ष अब और अधिक तीव्रता से करने की आवश्यकता है। जब हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं उसी समय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री महिलाओं को रात्रि पाली में भी काम करने के लिए कह रही हैं। ऐसे माहौल में जब दिन के उजाले में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तब रात के अंधेरे में सुरक्षा की गारंटी कैसे संभव है? वेतन के मामले में भेदभाव दिखता ही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट के अनुसार 75 देशों में जहां दुनिया की 80 प्रतिशत आबादी रहती है,किये गये अध्ययन के अनुसारा 90 प्रतिशत पुरुष महिलाओं के प्रति पक्षपात रखते हैं, उनका मानना है कि पुरुष ही अच्छे राजनीतिज्ञ, उद्योगपति या व्यापारी हो सकते हैं। यूएनडीपी ने सभी सरकारों व संस्थानों से महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने, शिक्षा और जागरुकता बढ़ाने हेतु अपील की है। महिलाओं के प्रति भेदभाव का उदाहरण और हैं, पोलैंड में गर्भपात पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, बलात्कार या मां की जान को खतरा होने पर भी गर्भपात नहीं किया जा सकेगा । महिला अधिकार के लिए सभी राष्ट्रों में संघर्ष चल रहे हैं तब यह स्थिति है। हमारे देश में महिलाओं से संबंधित अनेक कानू हैं – जैसे भ्रूण हत्या के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ, शिक्षा के लिए, अवसरों में समानता के लिए, दहेज प्रथा के खिलाफ किंतु ये सारी घटनाएं अब भी हो रही हैं। कानून होना और बात है और इन पर कड़ाई से अमल होना अलग बात है। अंधविश्वास के खिलाफ भी अभियान चलाना आवश्यक है। पिछले दिनों एक पीएचडी पिता और गणित के स्वर्णपदक विजेता माता द्वारा अपनी 2 बेटियों की हत्या, अंधविश्वास के चलते कर दी गई। यह दर्शाता है कि अंधविश्वास हमारे समाज में कितने अंदर तक घुसा हुआ है, इसे दूर करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। हमारे संघर्ष को और जोर-शोर से चलाने, जागरुकता अभियान की महती आवश्यकता है। इसमें हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है, हमारे संगठन एआईआईईए और सीजेडआईईए ने हमें इन विषयों पर लगातार जागरुक किया है, अपनी इस जागरुकता को समाज के हर हिस्से में लेकर जाना होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार कोरोना के कारण समानता के हक की लड़ाई पर बुरा असर पड़ा है। पिछले 25 वर्षों में महिलाओं ने जो हासिल किया था उसे मात्र 1 वर्ष में खो दिया है। इस महामारी के कारण महिलाओं पर सबकी देखभाल का भार बढ़ा है और कोरोना काल में घरेलू हिंसा की घटनाएं भी बहुत अधिक हुई हैं। सितंबर 2020 में अमेरिका में 2 लाख पुरुषों के मुकाबले 8 लाख 65 हजार महिलाओं की नौकरी छूट गई। हमारे देश में तो आंकड़े उपलब्ध ही नहीं हैं।

हम बीमा कर्मचारियों ने संघर्ष के महत्व को सबसे अच्छे से समझा है। हम जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर भारतीय जीवन बीमा निगम हमारे संघर्षों के कारण ही बना और अब तक बचा हुआ है, अन्यथा बहुत पहले ही इसे फिर से निजी हाथों में दे दिया गया होता। हमनेअपनी जागरुकता को देश की जनता के बीच ले जाकर उन्हें भी जागरुक कर लामबंद किया और हर संभव प्रयास किया। इस वर्ष बजट पेश करते समय एलआईसी के आईपीओ का प्रस्ताव तथा बीमा उद्योग में एफडीआई (विदेशी निवेश) 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा कि तीव्र संघर्ष की आवश्यकता है। इसके साथ एलआईसी एक्ट में सुधार का विरोध करना है। वेतन पुनर्निर्धारण, सबके लिए 1995 का पेंशन, नई भर्ती, श्रम कानूनों में परिवर्ततन के खिलाफ लगातार संघर्ष की जरूरत है। पब्लिक सेक्टर के अनेक उद्योगों के निजीकरण के खिलाफ भी हमें संघर्षों के साथ रहना है। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान संघर्षरत हैं, 200 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। उन्हें आर्थिक मदद के कसाथ ही उनको समर्थन देना है। आंदालन करने वालों की खिल्ली उड़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री उन्हें आंदोलनजीवी-परजीवी कहते हैं। साथियों, आंदोलन की बदौलत ही हमने अपने उद्योग को अब तक बचाया हुआ है। अब तक जो अधिकार मिले हैं, जिनका उपयोग हम कर रहे हैं, आंदोलन करके ही हासिल किये हैं। हासिल किये गये अधिकारों को बचाने और हमारे अधिकारों के खिलाफ किसी भी नये कानून के खिलाफ आंदोलन ही रास्ता है। 8 मार्च को उत्सवित किये जाने वाला 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' हमें आंदोलन के महत्व को बताता है और आंदोलन करने की प्रेरणा देता है। हमारे सभी पुरुष और महिला साथी इसे बेहतर समझते हैं। आने वाले दिनों के तीव्रतर संघर्षों के लिए सभी साथी तैयार रहें।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

आपकी साथी

(ऊषा परगनिहा)

संयोजिका